भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज विशेष आर्थिक क्षेत्र
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096

फाईल सं- सीप्ज-सेज /सुरक्षा /गेट पासेस/01/2016-17/29719 दि : **30.09.16**

परिपत्र सं. - 150

सीप्ज-सेज़ में सडक पर स्पीड ब्रेकर लगाने के बावजूद यूनिट कर्मचारी अपने वाहन तेज गति से और गलत साइड (wrong side) से चलाते है, जिसकी वजह से सीप्ज़-सेज़ में वाहन दुर्घटना की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सीप्ज़ यूनिट अपने वाहनो कीं साफ - सफाई / धुलाई सीप्ज़-सेज़ के अंदर करके परिसर गंदा करते है। परिसर में पानी के जमा होने से दुर्गंधी फैलति है। मच्छरों का प्रभाव बढ़ जाता है, वैसे ही सीप्ज़-सेज़ परिसर के द्वार और सुरक्षा दीवार के बाहरी बाजु युनिट की संविदा बसें,कार,स्कूटर खडी करके ट्रॉफिक जाम करते है, उसके वजह से आगतुंक को आने-जाने के लिए तकलीफ होती है।

सभी सीप्ज़-सेज़ यूनिटों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं, कि सीप्ज़-क्षेत्र में उक्त कार्य करते समय पकडे जाने पर उनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी।

1) वाहन तेज गति से चलाने के लिए,गलत साइड से वाहन चलाने और सीप्ज़-सेज़ में वाहन की धुलाई / सफाई करते समय पकडे जाने पर और सीप्ज़-सेज़ द्वार और सुरक्षा दीवार परिसर के आस-पास संविदा(कॉन्ट्रक्ट) बसें, कार, स्कूटर खडी करने पर पहली गलती के लिए चेतावनी दी जाएगी।
2) दुबारा गलती करने पर वाहन का पास रद्द कर दिया जायेगा ।

यह परिपत्र विकास आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुरक्षा अधिकारी
(सीप्ज़-सेज)

प्रतिलिपी,

1) सीप्ज़-सेज़ स्थित सभी यूनिट
2) सॉफ्टवेयर, ईलेक्ट्रानिक मैन्यु. एसोसिएशन, सीप्ज़-सेज़
3) रत्नभूषण यूनिट मैन्यु. एसोसिएशन, सीप्ज़-सेज़
4) सीप्ज़-सेज़ स्थित सभी बैंक
5) अन्य उपयोगी सेवाएँ कार्यालय, सीप्ज़-सेज़
6) आइटी अनुभाग- वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए